भरत कुमार दूबे, अपर समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा दिनांक–30.12.2014 को 12:00 बजे मध्याह्न राजस्व कार्यों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

इस जिले के सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचल अधिकारी के साथ राजस्व कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में निम्न निदेश दिये गये :–

1.0 राजस्व वसूली

1.1 अंचल अधिकारी, मधुबन द्वारा बताया गया कि बंजरिया अंचल के नाजीर 35,000/–रू0 राजस्व वसूली की राशि अपने पास रखें हुए हैं, जिसे उनके अन्तिम वेतन प्रमाण–पत्र में दर्ज कर दिया गया है। अंचल अधिकारी, बंजरिया को निदेश दिया जाता है कि वे अगले माह तक उक्त राशि की वसूली करते हुए प्रतिवेदित करें ।

1.2 अंचल अधिकारी, रक्सौल ने बताया कि 17,000/–रूपये लेकर राजस्व कर्मचारी पकड़ीदयाल अंचल में पदस्थापित हैं। अंचल अधिकारी, पकड़ीदयाल को निदेश दिया गया कि यदि राजस्व कर्मचारी द्वारा दस दिनों के अन्दर उक्त राशि जमा नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

1.3 राजस्व वसूली का मासिक प्रतिवेदन जिन अंचलाधिकारी द्वारा अभीतक नहीं दिया गया है, उसे अविलम्ब भेजने का निदेश दिया गया।

1.4 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचलाधिकारी, मोतिहारी, बंजरिया, सुगौली, पीपराकोठी, केसरिया, चकिया, कल्याणपुर, रामगढ़वा, छौड़ादानों, आदापुर एवं पहाड़पुर द्वारा 20 प्रतिशत से कम वसूली की गई है।

सभी अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि सबसे कम राजस्व वसूली करने वाले कर्मचारी को चिन्हित कर दिनांक–15.01.2015 तक इस आशय की सूचना संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1.5 समीक्षोपरान्त यह भी पाया गया कि वसूल की गई राशि अंचलाधिकारियों द्वारा अभी तक कोषागार में जमा नही किया गया है। सभी अंचलाधिकारी को दिसम्बर माह में वसूली की गई राशि को कोषागार में अविलम्ब जमा कराते हुए रोकड़ बही की छाया प्रति के साथ 15 जनवरी, 2015 तक प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया।

1.6 अंचलाधिकारियों की मांग पर रसीद बही का अंचलवार निम्न प्रकार आवंटन किया गया :–

क्रमांक	अंचल का नाम	आवंटित रसीद बही की संख्या
1	2	3
1	मोतिहारी	30
2	तुरकौलिया	20
3	बंजरिया	10
4	सुगौली	20
5	पीपराकोठी	16
6	चकिया	18
7	मेहसी	15
8	केसरिया	25
9	रामगढ़वा	15
10	छौड़ादानों	20
11	आदापुर	20
12	ढ़ाका	30

13	रक्सौल	15
14	चिरैया	25
15	घोड़ासहन	20
16	बनकटवा	10
17	अरेराज	15
18	पहाड़पुर	15
19	संग्रामपुर	15
20	पकड़ीदयाल	20
21	पताही	15
22	तेतरिया	15
23	हरसिद्धि	15

संबंधित अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वे बैठक समाप्ति के बाद आज हीं आवंटित रसीद बहियाँ जिला राजस्व कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे।

(अनुपालन– सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचल अधिकारी)

2.0 भूदान

2.1 सभी अंचलाधिकारी को राजस्व कर्मचारी से भूदान की जमीन के लाभार्थियों की सूची प्राप्त कर 15 दिनों के अन्दर जिला राजस्व कार्यालय में भेजने का निदेश दिया गया था, ताकि उसे वेवसाईट पर अपलोड किया जा सके। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वांछित सूची अप्राप्त है।

संबंधित अंचलाधिकारी राजस्व कर्मचारियों से उक्त सूची प्राप्त कर दिनांक–31.12.2014 तक किसी जिम्मेवार कर्मी की प्रतिनियुक्ति करते हुए जिला स्तरीय वेवसाईट पर अपलोड कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी)

3.0 विभागीय कार्यवाही का संचालन

3.1 प्रपत्र "क" गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालन के विन्दु पर समीक्षा के क्रम में भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया कि वे शीध्र सुनवाई कर विभागीय कार्यवाही का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता)

4.0 दाखिल खारीज

4.1 अंचल अधिकारी, घोड़ासहन, बंजरिया एवं तेतरिया द्वारा दाखिल खारीज से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराया गया है। इसे विहित प्रपत्र में आज ही उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

सभी अचंलाधिकारी दाखिल खारीज के संबंध में विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन देंगे, जिसमें कैम्प एवं आर0टी0पी0एस0 के अलग–अलग आंकड़े रहेंगे।

4.2 शिविर लगाकर दाखिल खारीज करने के विन्दु पर समीक्षा के क्रम में सभी अंचलाधिकारियों को भविष्य के लिए सतर्क करते हुए निदेशित किया गया कि यदि उनके द्वारा शिविर लगाकर दाखिल खारीज नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध सरकार को प्रतिवेदित कर दिया जाएगा।

(अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी)

5.0 व्यवसायिक लगान

5.1 वर्ष 1993–94 से 2005–06 तक की अवधि में व्यवसायिक लगान मद में जो राशि प्राप्त की गई है, उसे चालान के माध्यम से कोषागार में दिनांक–31.12.2014 तक जमा करते हुए रोकड़ बही की

छाया प्रति के साथ अनुपालन प्रतिवेदन जिला राजस्व शाखा में उपलब्ध कराने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया।

5.2 अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि जिस अंचल में इस मद में राशि लंबित नही है, वे पूर्व में जमा किये गये चालान की छाया प्रति के साथ लिखित रूप में प्रतिवेदित करेंगे कि उनके अंचल में व्यवसायिक लगान मद में कोई राशि कोषागार में जमा करने हेतु लंबित नहीं है।

(अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी)

6.0 सी.ए.जी. की कण्डिका–5.1.3 का अनुपालन

6.1 अंकेक्षण आपत्तियों की समीक्षा के क्रम में सभी अंचल में वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक की अवधि में कम वसूली के संदर्भ में आपत्ति के विन्दु पर यह निदेशित किया गया कि वर्षवार राजस्व वसूली, अवशेष राशि एवं कम वसूली का कारण दर्शाते हुए दिनांक–31.12.2014 तक प्रतिवेदित करने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया।

(अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी)

7.0 महादलित टोले का सर्वेक्षण

7.1 समीक्षा के क्रम में यह बताया गया कि प्रत्येक अंचलों को इस मद में 10–10 हजार रूपये आवंटन किये गये हैं। सभी अंचल अधिकारी उक्त राशि का नियमानुसार व्यय ऑपरेटर का मानदेय, कागज, कार्टिज, आदि में करेंगे।

7.2 अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्वेक्षित महादलित परिवारों की संख्या बढ़ने की सम्भावना है। इसे दृष्टिगत रखते हुए सभी अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि 15 दिनों के अन्दर सर्वेक्षित परिवारों की संख्या चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराएँ। महादलित टोले का सर्वेक्षण सभी अंचल अधिकारी स्वयं करेंगे।

7.3 पूर्व के चिन्हित कुल 1,460 लाभान्वितों को पर्चा वितरण हेतु दिनांक–30.01.2015 को जिला स्तर पर आयोजित होने वाले शिविर की जानकारी देते हुए निदेशित किया गया कि इसके पूर्व लाभान्वित परिवारों को चिन्हित कर पर्चा वितरण की सभी प्रक्रिया पूर्ण कर लें।

(अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी)

8.0 क्रय निति के तहत जमीन का क्रय

8.1 जमीन क्रय हेतु अंचल अधिकारियों की मांग पर निम्नांकित अंचलों में उनके नाम के सामने अंकित राशि दिनांक–05.01.2015 तक आवंटित करने का निदेश दिया गया :–

क्रमांक	**अंचल का नाम**	**आवंटित राशि (लाख में)**	**अभ्युक्ति**
1	**2**	**3**	**4**
1	कल्याणपुर	05.00	अंचल अधिकारी राशि आवंटन हेतु लिखित अधियाचना जिला राजस्व कार्यालय में उपलब्ध कराएँगें।
2	मेहसी	08.00	
3	संग्रामपुर	05.00	
4	मोतिहारी	10.00	
5	केसरिया	04.00	
6.	चकिया	08.00	
7.	छौड़ादानो	10	
8.	पहाड़पुर	04	
कुल :–		**54.00**	

8.2 प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–458 दिनांक–18.12.14 के प्रावधान के अनुरूप नई क्रय नीति के अनुसार सभी अंचल अधिकारी उपर्युक्त राशि से प्रत्येक लाभार्थी के लिए जमीन का क्रय करेंगे।

8.3 अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से यह प्रतिवेदन प्राप्त कर लेंगे कि गैरमजरूआ आम एवं गैरमजरूआ मालिक जमीन उनके हल्का में उपलब्ध नही है। तत्पश्चात् क्रय करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन– जिला राजस्व कार्यालय/सभी अंचल अधिकारी)

9.0 प्रपत्र–1

त्रुटि निराकरण का आँकड़ा अपलोड करने के विन्दु पर समीक्षा के क्रम में बताया गया कि कुल 1.50 लाख पर्चाधारियों के विरूद्ध मात्र 14,600 पर्चाधारियों का आँकड़ा ही अपलोड हुआ है। इस संबंध में निम्न निदेश दिये गये :–

9.1 सभी अंचल अधिकारी दिनांक–02.01.2015 तक आँकड़ा अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

9.2 अंचल अधिकारी, बंजरिया, ढ़ाका, आदापुर, कोटवा, पीपराकोठी एवं रक्सौल द्वारा क्रमवार डाटा अपलोड नहीं किया गया है, जिसमें सुधार करने का निदेश दिया गया।

9.3 छौंड़ादानों, तुरकौलिया, मेहसी, मोतिहारी, चकिया, कल्याणपुर एवं पहाड़पुर अंचलों का डाटा अपलोडिंग प्रपत्र–1 में नहीं है। इसे ठीक कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी)

10.0 प्रपत्र–2

10.1 बेदखली का आंकड़ा अपलोड करने के विन्दु पर सभी अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि चिन्हित पर्चाधारियों की सूची अविलम्ब अपलोड कराएँ तथा उसकी प्रति जिला राजस्व प्रशाखा को भी उपलब्ध कराएँ।

(अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी)

11.0 प्रपत्र–3

11.1 जिस अंचल में पर्चाधारियों को दखल कब्जा दिला दिया गया है, उसकी सूची प्रपत्र–3 में तैयार कर अपलोडिंग कराने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया।

(अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी)

12.0 माननीय उच्च न्यायालय का लंबित वाद

12.1 समीक्षा के क्रम में सभी अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के लंबित वादों की सूची आर0टी0पी0एस0 के मेल पर भेजा जा चुका है। सभी अंचल अधिकारी लंबित वादों में अविलम्ब प्रतिशपथ पत्र दायर करते हुए उसकी प्रति जिला विधि शाखा एवं राजस्व शाखा में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

12.2 माननीय उच्च न्यायालय के लंबित वादों में प्रतिशपथ पत्र दायर करने में यदि किसी अंचल अधिकारी को कोई कठिनाई महसूस हो तो वे अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए प्रतिशपथ पत्र तैयार कर सकते हैं।

12.3 यदि रीट याचिका की प्रति अंचल अधिकारी को प्राप्त नही हो तो वे जिला विधि शाखा से सम्पर्क कर उसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

(अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी)

13.0 माननीय लोकायुक्त न्यायालय का लंबित मामला

13.1 समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि आदापुर अंचल में 02 मामले लंबित हैं, जिसका अविलम्ब निष्पादन करने का निदेश अंचल अधिकारी को दिया गया।

(अनुपालन–अंचल अधिकारी, आदापुर)

14.0 <u>बेलट्रॉन का डाटा इन्ट्री ऑपरेटर</u>

14.1 सभी अंचल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अंचल में प्रतिनियुक्त बेलट्रॉन के डाटा इन्ट्री ऑपरेटर सिर्फ राजस्व संबंधी डाटा इन्ट्री का कार्य करेंगे। इन्हें अन्य कार्य में नही लगाया जाय।

14.2 यदि बेलट्रॉन के किसी डाटा इन्ट्री ऑपरेटर द्वारा अपने कार्यों में लापरवाही बरती जाती है तो अंचल अधिकारी उन्हें पदमुक्त करते हुए बेलट्रॉन को प्रतिवेदित करेंगे।

<u>(अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी)</u>

15.0 <u>भू–अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन</u>

15.1 पूर्व में समाहर्त्ता द्वारा सभी अंचल अधिकारी को यह निदेश दिया गया था कि प्रत्येक अंचल में भू–अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन के मामले को चिन्हित कर सूची अनुमंडल कार्यालय को भेजें, परन्तु समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अनेक अंचलों की प्रगति शून्य है। यह खेद का विषय है। इस कार्य हेतु 15 दिनों का और समय दिया जाता है। सभी अंचल अधिकारी दिनांक–15.01.2015 तक इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

15.2 पूर्व के 658 राजस्व ग्रामों के कम्प्यूटराईजेशन की समीक्षा सभी अंचल अधिकारी कर लेंगे और यदि वे अपलोड कर दिये गये हों तो उसका सी0डी0 प्राप्त कर भेजना सुनिश्चित करें।

15.3 शेष भू–अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन का कार्य पंजी–2 /खेसरा पंजी के आधार पर कराकर दिनांक–31.01.2015 के पूर्व अपलोड कराने का निदेश दिया गया।

15.4 सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता भू–अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन का निरन्तर अनुश्रवण करेंगे और तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रतिदिन समाहर्त्ता महोदय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

<u>(अनुपालन– सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अंचल अधिकारी)</u>

16.0 <u>वाणिज्यकर वसूली</u>

16.1 संबंधित अंचल अधिकारी ऐसे मामलों को चिन्हित कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन अभिलेख के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी को भेजने का निदेश दिया गया।

<u>(अनुपालन– अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी)</u>

17.0 <u>ऑगनबाड़ी केन्द्र/स्वास्थ्य केन्द्र/उप केन्द्र/विद्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता</u>

17.1 गैरमजरूआ मालिक जमीन उपलब्धता के अनुसार सभी अंचल अधिकारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करें एवं अभिलेख स्वीकृति हेतु अविलम्ब भेजें।

17.2 गैरमजरूआ आम जमीन का प्रस्ताव अभिलेख के माध्यम से जिला राजस्व कार्यालय में समाहर्त्ता की स्वीकृति हेतु अविलम्ब भेजने का निदेश अंचल अधिकारी को दिया गया।

17.3 दान की जमीन के मामले में अंचल अधिकारी सतर्क रहें और वे स्थल निरीक्षण कर देख लें कि रास्ता उपलब्ध है अथवा नही। इसके बाद ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र दें।

<u>(अनुपालन– सभी अंचल अधिकारी)</u>

18.0 <u>सैरातों की बन्दोवस्ती</u>

18.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभागीय वसूली वाले सैरातों में अंचल अधिकारियों द्वारा सुरक्षित जमा के विरूद्ध वसूली की कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक–1269 दिनांक–13.10.2014 द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को विभागीय वसूली हेतु निदेश दिये गये थे कि विभागीय वसूली एवं लक्ष्य से कम वसूली की समीक्षा करें।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता वैसे मामलों की समीक्षा करेंगे, जिसमें विभागीय वसूली नही की जा रही है और एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदित करेंगे।

18.2 सभी अंचल अधिकारी विगत तीन वर्षों से तथा वर्तमान वर्ष में दिसम्बर माह तक के विभागीय वसूली का अद्यतन ऑकड़ा 02 जनवरी, 2015 तक निश्चित रूप से प्रस्तुत करेंगे। सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमण्डल पदाधिकारी इसे प्राथमिकता देकर सुनिश्चित कराएँगे।

(अनुपालन–सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचल अधिकारी)

19.0 मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं राजस्व विभाग से संबंधित जन शिकायत कोषांग के लंबित मामले

19.1 सभी अंचल अधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता दिनांक–06.01.2015 के पूर्व तत्संबंधी अद्यतन प्रतिवेदन निश्चित रूप से प्रस्तुत करेंगे। यदि लंबित ऑकड़े में कोई संदेह हो तो जिला राजस्व शाखा से सूची प्राप्त कर लेंगे।

19.2 समाहर्त्ता से उपर के उच्च पदाधिकारियों से प्राप्त जन शिकायत मामले का 100 प्रतिशत निष्पादन अगले जनता दरबार के पूर्व निश्चित रूप से कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचल अधिकारी)

20.0 तारांकित प्रश्न/आश्वासन

20.1 लंबित तारांकित प्रश्न/आश्वासन का उत्तर भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– अंचल अधिकारी)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

अपर समाहर्त्ता,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक–39/जि0रा0, मोतिहारी, दिनांक–8.1.15 वीं जनवरी, 2015

प्रतिलिपि सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचल अधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला प्रबंधक, आई0टी0, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं *वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु* प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी प्रखंडों के मेन्टर पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि समाहर्त्ता, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी